



पत्रक: U24/110/तीन/97-vi फैक्स

राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001
website—www.sudaup.org
e-mail : pmusuda@gmail.com
दिनांक ८७/५/१५

मासिक समीक्षा बैठक

तिथि व समय— दिनांक 14 एवं 15 मई, 2015 प्रातः 11.00 बजे।

बैठक स्थल—स्थानीय निकाय निदेशालय सभागार, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

1. दिनांक 14 मई, 2015

परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,

जनपद—आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजगगढ़, बदायूँ, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बहराइच, भदोही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, देवरिया,* इटावा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस एवं ललितपुर।

2. दिनांक 15 मई, 2015

परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,

जनपद—अमरोहा, सम्मल, मुरादाबाद, जालौन, जौनपुर, झांसी, कल्लौज, कानपुर देहात, कानुपर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, महराजगंज, महोबा, चित्रकूट, मैनपुरी, एटा, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनमढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाब एवं वाराणसी।

एजेण्डा

- पूर्व मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या की समीक्षा।
- बी०एस०य०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत आवासों के आवंटन व हस्तान्तरण की स्थिति, आवास निर्माण की प्रगति व अस्थर्पण के सापेक्ष घनराशि की वापसी।
- राजीव आवास योजना की समीक्षा तथा निर्माण कार्यों की भौतिक व वित्तीय प्रगति, यू०सी०, प्लान ऑफ एक्शन/सर्वे, लम्बित कार्यों/संदर्भों की समीक्षा।
- आसरा योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या—1833/69—1—14—14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 के अनुपालन में इन—सीटू डी०पी०आर० की प्रगति तथा योजना में भूमि की उपलब्धता, निर्माण कार्यों की भौतिक व वित्तीय प्रगति, यू०सी० तथा आवासों के आवंटन की स्थिति की समीक्षा।

5. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) के सभी उपघटकों की भौतिक व वित्तीय प्रगति, यू०सी० एवं लम्बित कार्यों/संदर्भों की समीक्षा।
6. मोटर/बैटरी चालित रिकशा योजना के परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित कट-आफ-डेट के दिशानिर्देश संबंधी शासनादेश संख्या 35 दिनांक 24.01.2013 के अनुसार ढूड़ा स्तर पर विज्ञापित विज्ञप्ति की प्रति साथ लेकर आये। नवीनतम विस्तारित कट आफ-डेट (30.11.2014) के संबंध में पाये गये पात्र लाभार्थियों की अद्यतन सूचना भी साथ लेकर आये पात्र लाभार्थियों की सूची में अनुसूचित जाति के आवेदकों की पृथक संख्या भी साथ लेकर आये। शून्य संख्या घोषित जनपद सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आये।
7. आई०एल०सी०एस० 2008 के लम्बित मामलों की आर०सी० व वसूली आदि की समीक्षा।
8. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में प्लेसमेन्ट आदि की प्रगति, पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति व स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के सापेक्ष अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा उपलब्ध धनराशि की समीक्षा।
9. शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी, सार्वजनिक शौचालय एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना के अंतर्गत शासनादेशवार सभी परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति, यू०सी० तथा परिसंपत्ति हस्तान्तरण (नगर निकायों को) की समीक्षा।
10. योजनावार जिला स्तर पर माह के आरम्भ में उपलब्ध धनराशि, शासन द्वारा जारी की गयी धनराशि, सूड़ा द्वारा ढूड़ा को जारी धनराशि, ढूड़ा द्वारा व्यय की गयी धनराशि, प्रदत्त उपयोगिता प्रमाण पत्र, अवशेष धनराशि तथा अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा।
11. एस०ज०एस०आर०वाई० योजनान्तर्गत उपघटकवार अन्तिम व्यय की सूचना साथ लेकर आये तथा उसके सापेक्ष अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

विशेष बिन्दु – अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेसमेंट्स (USHA)


भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भवन संगठन (एन०बी०ओ०) द्वारा संचालित इंगित योजना के संबंध में जिन जनपदों में वर्ष 2009–2010 में अभिकरण/शासन द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप सर्वेक्षण के उपरान्त निर्धारित 03 प्रकार के प्रारूपों पर प्रविष्टि किये जाने का कार्य अपूर्ण रहा था अथवा जिन जनपदों में यह कार्य नहीं कराया गया था अथवा ऐसे जनपद जिन्हे उक्त कार्य हेतु निर्देश नहीं थे, ऐसे सभी जिला नगरीय विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारी को निदेशक, सूड़ा द्वारा पूर्व निर्गत आदेश संख्या—96 दिनांक 13.04.2015 के क्रम में अपेक्षित कार्य तत्काल पूर्ण किया जाना निर्देशित था। यह भी निर्देश दिये गये थे कि सर्वेक्षण पूर्ण होते ही पूर्वोक्त 03 फार्मेट पर की गयी टिप्पणी को आनलाइन डेटा फीडिंग हेतु पूर्व चयनित संस्था अपट्रान इण्डिया लि�० के प्रतिनिधि को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाय।

जनपद स्तर से उक्त सर्वेक्षण को सम्पन्न कराये जाने तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 03 प्रारूपों पर यथा निर्देशित टिप्पणी अंकित किये जाने में परियोजना अधिकारियों को कतिपय जानकारी/मार्गदर्शन अपेक्षित है। इस संबंध में भारत सरकार के संबंधित योजना के अधिकारी से विमर्श किया गया। आनलाइन डेटा फीडिंग हेतु आवंटित संस्था से भी इस संबंध में विमर्श किया गया। अतः उपरोक्त कार्य को सुचारू एवं यथा समय पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार के प्रश्नगत योजना से संबंधित प्रतिनिधि अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित होकर एक संक्षिप्त कार्यशाला के माध्यम से

प्रस्तुति करेंगे। अपट्रान के अधिकारी एवं आनलाइन डेटा फ़ीडिंग हेतु अपट्रान स्तर से चयनित मरणों के प्रतिनिधि भी प्रत्युतिकरण करेंगे। समस्त परियोजना अधिकारियों के लिए यह कार्यशाला अत्यन्त अपरिहार्य एवं उपयोगी होगी। अत भासिक समीक्षा वैठक समाप्त होते ही हितीय वरण में यह कार्यशाला प्रारम्भ होगी। समस्त परियोजना अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अपने जनपद से संबंधित समस्त नगर निकायों से संबंधित पूर्वोक्त फार्मेट के दिमिन कॉलमों से संबंधित संवेदित विवरण भी अनिवार्य रूप से साथ में लेकर आयें।

आवश्यक निर्देश

1. माठ मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं से आच्छादित कार्यों की अद्यावधिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति।
2. सूडा के पत्रांक-1976/27/तीन/2001 (स्टेप-आप), दिनांक 03.09.2014 के द्वारा एस0जे0एस0आर0वाई0/एन0यूएल0एम0 योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उपघटक में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में वाहित प्रारूप पर सूचना साथ लेकर आयें।
3. सूडा द्वारा संचालित JNNURM, NULM व औन्य योजनाओं की निर्धारित प्रारूप पर एम0पी0आर0/अद्यतन वित्तीय/भौतिक प्रगति रिपोर्ट मीटिंग में साथ लेकर आयें तथा इसके पूर्व ईमेल से प्रत्येक माह की 3 तारीख तक सूचना अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं।
4. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 कॉलम के स्थान पर नये प्रारूप पर प्रत्येक माह एम0पी0आर0 प्रेषित करने हेतु सूडा के पत्रांक 181/59/पन्द्रह/IHSDP/BSU/सरे-IX दिनांक 22.04.2015 के द्वारा प्रारूप प्रेषित किया गया था। प्रेषित किये गये नये प्रारूप पर सूचना सही तरह से भरकर अद्यतन प्रगति विवरण की एक प्रति प्रत्येक दशा में बैठक में साथ लायें।
5. विकास एजेण्डा सूत्रों से संबंधित नियत प्रारूप पर आख्या ई-मेल द्वारा भेजें तथा हार्ड कॉपी साथ लेकर आये।
6. पूर्व वर्षों से संचालित रिक्षा चालकों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत अद्यतन ग्राज्ज दावा प्रकरण/संबंधित बीमा कम्पनी को संदर्भित दावा प्रकरण/अब तक लाभान्वित लाभार्थियों के विवरण तथा योजना में आच्छादित रिक्षा चालकों को योजना के समुचित प्रचार-प्रसार और जानकारी प्रदान किये जाने संबंधी कार्यों का ब्लौरा।
7. समस्त पी0ओ0/ए0पी0ओ0, ढूड़ा उपर्युक्त कार्यसूची पर गम्भीरता से समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही करे तथा अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लें।



 (डा० अनिल कुमार सिंह)
 अपर निदेशक

पत्रांक एवं दिनोंक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उ० प्र० शासन को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उ० प्र० शासन।

3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/सयुक्ता निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प सूडा।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
6. सूडा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/परामर्शी को इस आशय के साथ प्रेषित कि आयोजित बैठक में समीक्षा बिन्दुओं से सबधित पूर्ण विवरण समय से प्रस्तुत कर बुकलेट बनवाने, अपनी समीक्षा आख्या प्रस्तुत करने व भाग लने हेतु।
7. महा प्रबन्धक, सी० एण्ड. डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ का समय से समस्त प्रगति आख्या भेजने, अपनी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने व बैठक में प्रतिगाम करने हेतु।
8. नाजिर, सूडा को समय से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।


 (डा० अनिल कुमार सिंह)
 अपर निदेशक